हापुड़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट

थाना - हापुड़ नगर **दिनांक:- 11-10-2024**

"थाना हापुड़ नगर क्षेत्र में एक दिन पूर्व हुई फायरिंग की घटना का वादी ही निकला मास्टरमाइंड"

- **थाना हापुड़ नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व घटित फायरिंग की घटना का अनावरण करते हुए वादी सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 03 जिन्दा व एक खोखा कारतूस तथा होण्डा साईन मोटर साइकिल बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त/वादी दीपचन्द्र व प्रतिवादी सत्यम वैद्य के बीच जनपद देहरादून में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिस कारण दीपचन्द्र द्वारा अपने प्रतिवादियों पर दबाब बनाने हेतु कराई गई थी स्वयं पर फायरिंग।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09-10-2024 की रात्रि में हाईवे पर बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा वादी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना हापुड़ नगर पर तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 682/2024 धारा 109, 351(2) बीएनएस का अनावरण करते हुए वादी सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 03 जिन्दा व एक खोखा कारतूस तथा होण्डा साइन मोटर साइकिल बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. दीपचन्द्र आगरवाला पुत्र मोतीलाल आगरवाला निवासी छापरी वार्ड मानिकपुर थाना डिब्रूगढ़ जनपद डिब्रूगढ़ (असम)।
2. धन्जीत कोलीटा पुत्र रत्नेश कोलीटा निवासी सोनू पटा थाना पाटाशर कुशी जनपद बोरपेटा (असम)।
3. आसिफ उर्फ आरिफ पुत्र इरफान उर्फ इमरान निवासी ग्राम महमूदपुर राजौरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी का दिनांकः- अभियुक्त दीपचन्द्र व धन्जीत उपरोक्त- 10.10.2024,
अभियुक्त आसिफ उपरोक्त- 11.10.2024।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट होण्डा साईन मोटर साइकिल।
2. घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा (एक अवैध तमंचा मय 03 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .32 बोर)।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर वादी दीपचन्द्र आगरवाला द्वारा बताया गया कि मेरा प्रतिवादी सत्यम वैद्य के साथ रायपुर (देहरादून) में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, विवादित जमीन को बेचने का सौदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 09.10.2024 की रात्रि में स्वयं पर फायरिंग की घटना करवाई थी, जिससे मैं सत्यम वैद्य व उसके परिवार वालों को झूठे मुकदमों में फंसाकर एवं उन लोगों पर दबाब बनाकर जमीन को बेच सकूं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री अवधेश माहौर थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री नवनीत सिंह थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
3. है0का0 494 अजय शंकर थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
4. का0 39 विपुल खोखर थाना हापुड नगर जनपद हापुड।